



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरत्र कम्पनी)

(CIN : U74899DL1963GOI003913)

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़

जिला – श्रीगंगानगर (राज0)

दूरभाष : 01509.220084, 220006, 221420,

मुख्यालय – बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-12

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking)

(CIN : U74899DL1963GOI003913)

Central State Farm, Suratgarh

Website: www.indiaseeds.com

PHONES : 01509-220084, 220006, 221420,

e-mail –. csfsuratgarh@indiaseeds.com

H.O. : Beej Bhawan, Pusa complex, New

Delhi – 12

क्रमांक:सीएसएफ/एसओजी/5-3/साम0/2022-23/1756

दिनांक: 15.03.2023

ऑफलाईन-निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़, जिला-श्रीगंगानगर (राजस्थान) में एक वर्ष की अवधि के लिए साफ-सफाई के ठेके हेतु इच्छुक फर्मों/ठेकेदारों से सील बन्द ऑफलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। नियम एवं शर्तों के अनुसार निर्धारित धरोहर राशि तथा रूपये 590/- (रु0 500 एवं 18% जी.एस.टी.) टेण्डर फार्म फीस ऑनलाईन जमा करवाकर दिनांक 31.03.2023 को दोपहर 01:00 बजे तक तकनीकी एवं वित्तीय निविदा को फार्म प्रमुख, केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ के नाम से सीलबन्द लिफाफे में बन्द कर निविदा बाक्स में डालना होगा, जो उसी दिन दोपहर 03:00 बजे तकनीकी एवं 03.30 बजे वित्तीय निविदा खोली जायेगी। ऑफलाईन निविदा प्रपत्र एवं अन्य नियम व शर्तें निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com से डाउनलोड की जा सकती है। किसी भी प्रकार का शुद्धिपत्र केवल निगम की वेबसाइट पर ही डाला जायेगा।

फार्म प्रमुख



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरत्र कम्पनी)
(CIN : U74899DL1963GOI003913)
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़
जिला – श्रीगंगानगर (राज0)
दूरभाष : 01509.220084, 220006, 221420,
मुख्यालय – बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-12

**NATIONAL SEEDS CORPORATION
LIMITED**
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963GOI003913)
Central State Farm, Suratgarh
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 01509-220084, 220006, 221420,
e-mail – csfsuratgarh@indiaseeds.com
H.O. : Beej Bhawan, Pusa complex, New
Delhi – 12

क्रमांक : सीएसएफ/एसओजी/5-3/साम0/2022-23/1756

दिनांक: 15.03.2023

NOTICE INVITING OFFLINE TENDER FOR SAFAI WORKS AT NSC LTD., CENTRA STATE FARM: SURATGARH, SRIGANGANAGAR, RAJASTHAN (Tender No. सीएसएफ/एसओजी/5-3/साम0/2022-23/1756 दिनांक: 15.03.2023)

National Seeds Corporation Ltd.,(NSCL), a fast growing “Mini Ratna” Central PSU under Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, engaged in the business of Production and Distribution of certified seeds invites “Offline Tender (Technical proposal & Financial proposal)” from reputed firm for Safai work.

Detailed eligibility & other criteria may be viewed from the tender document. The party fulfilling the NSC reserves the right to modify, expands, restrict, scrap, refloat or cancel the Tender at any stage without assigning any reason, Responses received after the stipulated time period or not in accordance with the specified format will be summarily rejected.

The details may be viewable on the website of NSCL i.e. www.indiaseeds.com.

1	Name of Work	(Safai) Works at NSC, CSF, Suratgarh
2	Location	Central State Farm, Suratgarh (Block No. I, II, III and H.Q.)
3	Earnest Money (In Rs.)	10000-00 (B-I), 20000.00(B-II), 3000-00(B-III) and 10000.00 (HQ),
4	Cost of Tender	Rs. 590.00 (Rs. 500+ 18% GST)
5	Start Date & Time for submission of tender	15-03-2023 by 10-00 Hrs.
6	Last Date & Time for submission of Tender	31-03-2023 offline by 13.00 Hrs.
7	Date & Time of opening of tender	Technical Bid 31-03-2023 by 15.00 Hrs. Price Bid 31-03-2023 by 15.30 Hrs.
8	Address for Communication	The Farm Head, Central State Farm, Suratgarh-335804 Sriganganagar, Rajasthan E-Mail- csf.suratgarh@indiaseeds.com Contact No. 01509-221420
9	Bank Accounts Details for RTGS	Name:- National Seeds Corporation Ltd. Bank:- State Bank of India, Address: In front of Old Bus Stand, Suratgarh A/c No. : 34056542572 IFSC : SBIN0007774

In case 31-03-2023 is declared holiday, the tender will be opened at the same time on the next working day.

Farm Head.

सफाई कार्य का ठेका देने हेतु नियम व शर्तें

1. ठेके की अवधि एक वर्ष तक होगी। (जिस दिन से वास्तविक कार्य प्रारम्भ होगा उससे लेकर एक वर्ष तक)
2. सफाई कार्य क्षेत्र (1) खण्ड-। (कालोनी, वर्कशाप कैम्पस, खण्ड-नं0-। कैम्पस), (2) केन्द्रीय कालोनी खण्ड-2 (डिस्पेन्सरी, वर्कशाप कैम्पस, खण्ड नं0-2 कैम्पस) एवं (3) खण्ड-3 कार्यालय व कालोनी एवं (4) फार्म मुख्यालय कालोनी एवं प्रक्षेत्र कार्यालय जिनका समस्त कार्य का ब्यौरा निम्नलिखित है -

क्रम संख्या	कार्य क्षेत्र	कार्य विवरण	न्यूनतम लगने वाले मानव श्रम शक्ति की संख्या	टिप्पणी
1	खण्ड-।	<p>(1) खण्ड-। के एग्रीकल्चर, यांत्रिकी, वर्कशाप , प्रोसेसिंग प्लांट, विपणन कार्यालय तथा उनके आस-पास एवं धर्मकाटां कार्यालय पर नियमित साफ-सफाई करना तथा सप्ताह में एक दिन छोड़कर एक दिन पौछा लगाना ।</p> <p>(2) खण्ड-। के कार्यालयों के आस-पास स्थित सभी शौचालयों(कुल 01 शौचालय) की नियमित साफ-सफाई प्रयोग में आने वाले रसायनों से करना (जैसे की हारपीक, फिनाइल इत्यादि)</p> <p>(3) खण्ड-। की कर्मचारी कॉलोनी के बाहर नियमित झाड़ू लगाना ।</p> <p>(4) सफाई के बाद इकटठें किये गये कचरे को गडढे में दबाना एवं उचित रूप में निस्तारण करना ।</p> <p>(5) समय-समय पर क्वाटरों /कार्यालयों के लिए बने सैफटी टैंक को सैफटी टैंकर की मदद से खाली करवाना ।</p> <p>(6) खण्ड-। में स्थित कार्यालयों एवंम कॉलोनी में क्वाटरों की नाली एवं शौचालय पाईप लाईन चौक होने पर उनको खोलना इत्यादि ।</p> <p>(7) समय-समय पर समस्त साफ-सफाई के कार्यों को अधिकारियों की दिशा-निर्देश अनुसार करना ।</p> <p>(8) खण्ड-। के कार्यालय परिसर एवंम कर्मचारी आवासों के आस-पास कोई पशु/जानवर मृत पाये जाने पर अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप उनको उचित जगह <u>दफनाना/निस्तारण</u> करना ।</p>	3	
2	खण्ड-।।	<p>(1) खण्ड-।। में स्थित सभी कार्यालय (Base Workshop, POL, Mechanical Store, STL, Processing Plant Offices, Agriculture Offices, Weighing Bridge, Dispensary Office etc.) नियमित साफ-सफाई करना तथा सप्ताह में एक दिन छोड़कर एक दिन पौछा लगाना ।</p> <p>(2) खण्ड-।। के कार्यालयों के आस-पास स्थित सभी शौचालयों(कुल 05 शौचालयों) की नियमित साफ-सफाई प्रयोग में आने वाले रसायनों से करना (जैसे की हारपीक, फिनाइल इत्यादि)</p> <p>(3) खण्ड-।। की कर्मचारी कॉलोनी के बाहर नियमित झाड़ू लगाना</p> <p>(4) सफाई के बाद इकटठें किये गये कचरे को गडढे में दबाना एवं उचित रूप में निस्तारण करना ।</p> <p>(5) समय-समय पर क्वाटरों/कार्यालयों के लिए बने सैफटी टैंक को सैफटी टैंकर की मदद से खाली करवाना ।</p> <p>(6) खण्ड-।। में स्थित कार्यालयों एवंम कॉलोनी में क्वाटरों की नाली एवं शौचालय पाईप लाईन चौक होने पर उनको खोलना इत्यादि ।</p>	6	

		<p>(7) समय-समय पर समस्त साफ-सफाई के कार्यों को अधिकारियों की दिशा-निर्देश अनुसार करना ।</p> <p>(8) खण्ड-॥ के कार्यालय परिसर एंवम कर्मचारी आवासों के आस-पास कोई पशु/जानवर मृत पाये जाने पर अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप उनको उचित जगह <u>दफनाना/निस्तारण</u> करना ।</p>		
3	खण्ड- III	<p>(1) खण्ड-III के एग्रीकल्चर, यांत्रिकी, वैल्विंग शैड, स्टोररूम व वैल्विंग शैड के दोनो तरफ ग्राउन्ड की तथा ईपीओ(बाग) कार्यालय में नियमित साफ-सफाई करना तथा सप्ताह में एक दिन छोडकर एक दिन पौछा लगाना ।</p> <p>(2) खण्ड-III के कार्यालयों के आस-पास स्थित सभी शौचालयों (कुल 01 शौचालय) की नियमित साफ-सफाई प्रयोग में आने वाले रसायनों से करना (जैसे की हारपीक, फिनाइल इत्यादि)</p> <p>(3) खण्ड-III की कर्मचारी कॉलोनी के बाहर नियमित झाडू लगाना</p> <p>(4) सफाई के बाद इकटठें किये गये कचरे को गडढे में दबाना एंव उचित रूप में निस्तारण करना ।</p> <p>(5) समय-समय पर क्वाटरों/कार्यालयों के लिए बने सैफटी टैंक को सैफटी टैंकर की मदद से खाली करवाना ।</p> <p>(6) खण्ड-III में स्थित कार्यालयों एंवम कॉलोनी में क्वाटरों की नाली एंव शौचालय पाईप लाईन चौक होने पर उनको खोलना इत्यादि ।</p> <p>(7) समय-समय पर समस्त साफ-सफाई के कार्यों को अधिकारियों की दिशा-निर्देश अनुसार करना ।</p> <p>(8) खण्ड-III के कार्यालय परिसर एंवम कर्मचारी आवासों के आस-पास कोई पशु/जानवर मृत पाये जाने पर अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप उनको उचित जगह <u>दफनाना/निस्तारण</u> करना ।</p>	1	
4	सूरतगढ फार्म मुख्यालय एंव प्रक्षेत्र कार्यालय	<p>(1) मुख्यालय में स्थित समस्त कार्यालयों(एग्रीकल्चर, यांत्रिकी, लेखा, सिविल, सामग्री प्रबन्धन, मानव संसाधन इत्यादि) एंवम रेस्ट हाउस के समस्त कमरों, डाईनिंग हॉल , सभागार कक्ष, प्रक्षेत्र कार्यालय एंव कैंटीन में नियमित साफ-सफाई करना तथा सप्ताह में एक दिन छोडकर एक दिन पौछा लगाना ।</p> <p>(2) सूरतगढ फार्म मुख्यालय के कार्यालयों एंवम प्रक्षेत्र कार्यालय के आस-पास स्थित सभी शौचालयों(कुल 05 शौचालयों) तथा रेस्ट हाउस के समस्त कमरों के शौचालयों की नियमित साफ-सफाई प्रयोग में आने वाले रसायनों से करना (जैसे की हारपीक, फिनाइल इत्यादि)</p> <p>(3) मुख्यालय की कर्मचारी कॉलोनी के बाहर एंवम सडक पर नियमित झाडू लगाना ।</p> <p>(4) सफाई के बाद इकटठें किये गये कचरे को गडढे में दबाना एंव उचित रूप में निस्तारण करना ।</p> <p>(5) समय-समय पर क्वाटरों/रेस्ट हाउस/कार्यालयों के लिए बने सैफटी टैंक को सैफटी टैंकर की मदद से खाली करवाना ।</p> <p>(6) मुख्यालय में स्थित कार्यालयों एंवम कॉलोनी में क्वाटरों की नाली एंव शौचालय पाईप लाईन चौक होने पर उनको खोलना इत्यादि ।</p> <p>(7) समय-समय पर समस्त साफ-सफाई के कार्यों को अधिकारियों की दिशा-निर्देश अनुसार करना ।</p> <p>(8) मुख्यालय के कार्यालय परिसर एंवम कर्मचारी आवासों के आस-पास कोई पशु/जानवर मृत पाये जाने पर अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप उनको उचित जगह <u>दफनाना/निस्तारण</u> करना ।</p>	3	

3. इन क्षेत्रों में सफाई का कार्य करने हेतु निविदा प्रति माह की दर से **दिनांक 31.03.2023** को दोपहर 01:00 बजे तक ऑफलाईन-निविदा के माध्यम से स्वीकार की जायेगी। निविदा के साथ निर्धारित धरोहर राशि (रिफण्डेबल) (खण्ड-1। कालोनी, वर्कशाप कैम्पस, खण्ड-नं0-। कैम्पस हेतु रूपये 10000.00, केन्द्रीय कालोनी खण्ड-2 डिस्पेन्सरी, वर्कशाप कैम्पस, खण्ड नं0-2 कैम्पस हेतु रूपये 20000.00, खण्ड-3 कार्यालय व कालोनी हेतु रूपये 3000.00 तथा फार्म मुख्यालय कॉलोनी एवं प्रक्षेत्र कार्यालय हेतु रूपये 10000.00 के रूप में एवं रू0 590/- (रू0 500 एवं 18 प्रतिशत जी.एस.टी.) टेण्डर फार्म फीस (नॉन-रिफण्डेबल) के रूप में ऑनलाईन जमा करवाकर लेन-देन का प्रमाण निविदा के साथ में संलग्न करना होगा।
4. उक्त ऑफलाईन-निविदा दो प्रपत्रों में भरी जानी है जिसके लिए तकनीकी प्रपत्र एवं वित्तीय प्रपत्र अलग-अलग भरने होंगे। पहले तकनीकी प्रपत्र को खोला जायेगा यदि निविदादाता द्वारा भरा गया तकनीकी प्रपत्र नियम व शर्तों के अनुसार सही पाया जाता है तो ही वित्तीय प्रपत्र खोला जायेगा।
5. निविदादाता को तकनीकी प्रपत्र को सही तरह से भरकर निम्नलिखित सभी सम्बन्धित दस्तावेज स्वप्रमाणित कर संलग्न करने होंगे:- (1) पैन कार्ड (अनिवार्य), (2) जीएसटी पंजीकरण(यदि पंजीकृत है तो), (3) एमएसएमई/एनएसआईसी पंजीकरण (यदि पंजीकृत है तो) एवं आधार कार्ड
6. सफाई कार्य हेतु व्यक्तियों का प्रबन्ध करने एवं समय पर काम करवाने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा उन व्यक्तियों को सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों/केयरटेकर के निर्देशानुसार कार्य करना होगा। सफाई का कार्य प्रातः कार्यालय के खुलने के निर्धारित समय से पहले करना होगा।
7. सफाई कार्य के क्षेत्र अनुसार पर्याप्त मात्रा में श्रमिक लगाकर सफाई का कार्य सन्तोषजनक ढंग से करना होगा। जिनकी कार्य की रिपोर्ट सम्बन्धित केयरटेकर द्वारा प्रतिमाह दी जायेगी।
8. ठेकेदार को सही प्रवृत्ति के व्यक्तियों का प्रबन्ध करना होगा, उसके द्वारा लगाया गया कोई भी व्यक्ति आपराधिक/झगडालू प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिये। अगर ऐसा होता है तो तुरन्त उस व्यक्ति को हटाना होगा एवं मारपीट जैसी हरकत के लिये सफाई ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा।
9. सफल ठेकेदार को ठेके के संबन्ध में एक समझौता (Agreement) रूपये 500/- (रूपये पांच सौ मात्र) के नॉन-ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर करना होगा जिसमें सफाई कार्य के ठेके के नियम एवं शर्तें अंकित रहेगी।
10. असफल निविदादाताओं/बोलीदाताओं की धरोहर राशि वापिस कर दी जायेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
11. सफल ठेकेदार को कार्य आदेश जारी होने की तिथि से 48 घण्टे के अन्दर ठेके के वार्षिक मूल्य राशि का 10 % प्रतिभूति राशि (Security Deposit) के रूप में फार्म खाते में जमा करवानी होगी। सफल ठेकेदार द्वारा जमा करवाई गई धरोहर राशि उनकी जमा करवाई जाने वाली प्रतिभूति राशि में समायोजित कर बकाया प्रतिभूति राशि जमा करवानी होगी। कार्य के सन्तोषजनक रूप से पूरा होने के पश्चात समस्त जमा प्रतिभूति राशि लौटा दी जायेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि सफाई ठेके का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो यह प्रतिभूति राशि अथवा धरोहर राशि को जब्त कर लिया जायेगा।
12. ठेकेदार को प्रत्येक माह का बिल संबन्धित केयर टेकर अथवा कार्यालय प्रभारी की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करना होगा जिस पर सफाई ठेकेदार के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। ठेकेदार द्वारा भुगतान हेतु प्रिंटेड बिल स्वयं की रबड़ मोहर व हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत करना होगा। फार्म द्वारा भुगतान देय कर (कोई भी कर जो लागू हों) की कटौती कर बिल का भुगतान किया जायेगा।
13. अगर सफाई ठेकेदार का कार्य संतोषजनक नहीं होता है तो उसके लिये उचित राशि उसके बिल से काटी जायेगी। अगर ठेकेदार कार्य को बीच में छोड़ देता है तो सफाई कार्य का ठेका किसी अन्य को दे दिया जायेगा उससे अगर फार्म को किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई उसके बकाया बिलों से एवं उसकी प्रतिभूति राशि से की जायेगी।
14. उक्त ठेके की अवधि कार्य प्रारम्भ होने की तिथि से एक वर्ष तक की होगी तथा कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर दोनों पक्षों की आपसी सहमति से उक्त ठेके की अवधि को अधिकतम एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है।
15. सफाई कार्य के लिये जो भी औजार, सामान जैसे झाड़ू, टायलेट ब्रश, पॉछा, फिनाईल, फिनाईल गोलीयां, हारपिक इत्यादि प्रयोग में आता है उसका प्रबन्ध स्वयं ठेकेदार को करना होगा। सफाई कार्य पर लगाये गये व्यक्तियों की वैधानिक देयता ठेकेदार की होगी।

16. कार्य पर लगाये गये सफाईकर्मियों का पूरा रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी ठेकेदार की स्वयं की होगी। सफाईकर्मियों को किसी भी प्रकार की देय राशि/सरकारी कर के लिए ठेकेदार पूर्णरूप से स्वयं जिम्मेदार होगा।
17. निगम द्वारा उक्त ठेका बिना कारण बताये एक महीने की नोटिस अवधि देकर निरस्त किया जा सकता है।
18. कोई भी शर्त टेंडर स्वीकार्य नहीं है।
19. किसी भी कर्मचारी के घर के अन्दर कोई भी सफाई कर्मचारी व्यक्तिगत तौर पर कार्य नहीं करेगा जब तक कि वह कार्य कार्यालय से सम्बन्धित ना हो।
20. बाल एवं श्रम अधिनियमानुसार बच्चों व शराब पीये हुये व्यक्तियों को सफाई कार्य हेतु केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ के क्षेत्र में लाना व उनसे कार्य करवाना सख्त मना है।
21. सफाई ठेकेदार अपना ठेका किसी दूसरे सफाई ठेकेदार के नाम स्थानान्तरित नहीं कर सकता।
22. किसी कारण से सफाई ठेकेदार के बिल के भुगतान में देरी होने पर भी सफाई ठेकेदार को कार्य करवाना होगा।
23. सफाई ठेकेदार को उसके द्वारा लगाये गये व्यक्तियों को भुगतान स्वयं ही करना होगा तथा सभी प्रकार की वैधानिक जिम्मेदारी भी सफाई ठेकेदार की होगी एवं भुगतान का पूर्ण विवरण रखना होगा जो कि फार्म द्वारा कभी भी जाँचा जा सकता है।
24. अनुबन्ध में वर्णित किसी भी नियम व शर्त का उल्लंघन करने पर ठेकेदार का ठेका रद्द करने के साथ-साथ उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
25. यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इसे आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय समय पर संशोधित किए गए माध्यस्थ और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करने के लिए दोनों पार्टियों पर बाध्यकारी होगी। इस प्रावधान के तहत दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक मुद्दे को हल करने के लिए एक मात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। पार्टियों कानून के न्यायालय में जाने से पहले वे मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा।

घोषणा:-

मेरे द्वारा सफाई ठेके की उक्त सभी नियम व शर्तें अच्छी तरह से पढ़ एवं समझ ली गई है तथा मुझे उक्त सभी नियम व शर्तें पूरी तरह से स्वीकार है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

(To be submitted on letter head of firm/agency under signatures of the authorized signatory)

तकनीकी बोली प्रपत्र

1. निविदादाता का नाम
2. निविदादाता का पता
3. फोन नम्बर
4. अनुभव यदि कोई हो तो (प्रमाण संलग्न करें)
5. टेण्डर फीस रूपये 590/- (नॉन-रिफण्डेबल) का प्रमाण संलग्न करें।
6. निर्धारित धरोहर राशि रूपये..... जमा करवाने का प्रमाण संलग्न करें।
7. MSME/NSIC पंजीकृत पार्टी नियमानुसार टेण्डर फीस एवं धरोहर राशि में छुट हेतु पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें।
8. सफाई कार्य हेतु अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो।
9. PAN नम्बर (अनिवार्य रूप से प्रति संलग्न करें)
10. GST नम्बर (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

मैं/हम यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त सभी सूचनाएं मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार पूर्ण रूप से सत्य है तथा मेरी/हमारी फर्म को पिछले तीन वर्ष में किसी भी सरकार अथवा सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रतिबंधित/निषेध नहीं किया गया है। यदि उपरोक्त कोई भी सूचना किसी भी समय गलत पाई जाती है तो राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड को मेरे अथवा मेरी फर्म के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने का पूरा अधिकार होगा।

(सफाई कार्य के ठेके की नियम व शर्तों की एक प्रति प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर इस तकनीकी प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।)

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर.....

(To be submitted on letter head of firm/agency under signatures of the authorized signatory)

वित्तीय-बोली

सेवा में,

श्रीमान फार्म प्रमुख,
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड,
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ (राज0)

विषय:- सफाई कार्य के ठेके हेतु निविदा।

महोदय,

निवेदन है कि मैं केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ के निम्नलिखित क्षेत्रों में एक वर्ष की अवधि तक के लिए सफाई कार्य का ठेका लेना चाहता हूँ, जिसकी दरें निम्नानुसार होगी :-

क्र0 स0	कार्य स्थल	दर प्रति माह (रूपयों में) समस्त कर सहित
1	खण्ड-1 (कॉलोनी, वर्कशाप कैम्पस, खण्ड-नं0-1 कैम्पस),	रूपये ----- प्रति माह
2	केन्द्रीय कॉलोनी खण्ड-2, डिस्पेन्सरी, वर्कशाप कैम्पस, खण्ड नं0-2 कैम्पस	रूपये ----- प्रति माह
3	खण्ड-3 कार्यालय व कॉलोनी	रूपये ----- प्रति माह
4	फार्म मुख्यालय कालोनी एवं प्रक्षेत्र कार्यालय	रूपये ----- प्रति माह

उक्त सफाई ठेके की सभी नियम व शर्तें मुझे मंजूर है तथा यदि मुझे उक्त ठेका आवंटित होता है तो मैं समझौता-पत्र रूपये 500.00 (रूपये पांच सौ मात्र) के नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर उक्त नियम व शर्तें मय हस्ताक्षर जमा करवा दूंगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर.....

